रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 308

No. 392] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939 [N.C.T.D. No. 308

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017

सं. 24/2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(37)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/703.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) , एवं धारा 16 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जो कि दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, खंड IV, संख्या सं. फा. 03/(15) /वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करते हैं :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

3	4	5
" (vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,—		
(क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो;		
(ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा	6	-
(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं।		
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं	9	-"

यह अधिसूचना दिनांक 21 सितंबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th November, 2017

No. 24/2017- State Tax (Rate)

No. F. 3(37)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/703.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30thJune, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F. 3(15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30thJune, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of — (a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession; (b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or (c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.	6	-
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-".

This notification shall come into force with effect from the 21st day of September, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.10 19:45:17 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.